राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग
राजस्थान, जयपुर फोन नं0 0141–2221812, ई–मेल :– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक : एफ(32) / एनएचएम / रा.स. / एसएसबी / 2016 / 780 दिनांक :– 30/6/16

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 15.06.2016 को प्रातः 11.30 बजे से राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री तथा पदेन अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी श्रीमान् राजेन्द्र सिंह राठौड़ महोदय की अध्यक्षता में SHIFW के बैठक हॉल में आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची (परिशिष्ठ 'अ') के अनुसार माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य संबंधित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

श्री नवीन जैन अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एव विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मिशन निदेशक एनएचएम ने माननीय अध्यक्ष महोदय सहित बैठक के सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक के एजेण्डा आइटम का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया। बाद में सभी माननीय सदस्यों द्वारा प्रत्येक एजेण्डा आइटम के अनुसार चर्चा करके सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

1. पिछली राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड बैठक दिनांक 25.02.2016 में लिये गये निर्णय का अनुमोदन।
2. राज्य समुचित प्राधिकारी के क्रम संख्या 3 के लिये राज्य सरकार द्वारा मनोनित विधि विभाग के एक अधिकारी श्री लोकेश कुमार तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी, वादकरण, शासन सचिवालय, जयपुर से सम्बन्धित अधिसुचना से माननीय बोर्ड को अवगत करवाया गया।
3. राज्य में समस्त कार्यशील / अकार्यशील सोनोग्राफी संस्थानों के निरीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा की गयी। श्री नवीन जैन अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने अवगत कराया कि राज्य में लगातार निरीक्षण किये जा रहे है तथा वर्ष 2016 में अधिक से अधिक निरीक्षण किये जाने के भी निर्देश दिये।
4. श्री नवीन जैन ने बताया कि अधिनियम के अनुसार प्रत्येक तिमाही में सभी केन्द्रों का एक बार निरीक्षण किया जाना आवश्यक है। श्री नवीन जैन ने यह भी बताया कि राज्य में अकार्यशील संस्थानों की संख्या एक हजार से भी अधिक है। ऐसे संस्थानों का भी आवश्यक रूप से निरीक्षण किया जाये। माननीय बोर्ड ने निर्णय लिया कि आगामी तीन माह में अकार्यशील संस्थानों के निरीक्षण हेतु विशेष रूप से अभियान आयोजित किये जायें।
5. श्री नवीन जैन ने माननीय बोर्ड को अवगत कराया कि उपखण्ड समुचित प्राधिकारी का पद रिक्त होने या अन्य कारणवश निरीक्षण नहीं हो पाते है। इस सम्बन्ध में माननीय बोर्ड ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि ऐसे उपखण्ड जहां पर उपखण्ड समुचित प्राधिकारी उपलब्ध नहीं है ऐसे उपखण्ड में स्थित केन्द्रों के निरीक्षण हेतु किसी प्राधिकारी को प्राधिकृत करने के लिये जिला नोडल अधिकारी(पीसीपीएनडीटी) एक प्रार्थना पत्र जिला समुचित प्राधिकारी(पीसीपीएनडीटी) के मार्फत राज्य समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् राज्य समुचित प्राधिकारी किसी अधिकारी को निरीक्षण हेतु प्राधिकृत करें।
6. श्री नवीन जैन ने बताया कि राज्य में सोनोग्राफी केन्द्र का पंजीयन व नवीनीकरण समय–समय पर किये जा रहे है। सोनोग्राफी केन्द्रों के पंजीकरण के सम्बन्ध में श्री जैन ने बताया कि सम्पूर्ण राज्य में अब से केन्द्रों का पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाईन कर दिया गया है। इस हेतु ऑनलाईन लिंक भी सक्रिय हो गया है।
7. श्री नवीन जैन ने अवगत कराया कि राज्य में कन्या भ्रुण हत्या में संलिप्त व्यक्तियों को डिकॉय कार्यवाही के माध्यम से पकड़ा जा रहा है। सत्र 2016–2017 अब तक छः डिकॉय कार्यवाही की गई है जिसमें दो कार्यवाही अर्न्तराज्यीय (हरियाणा व उतरप्रदेश) की गई है। श्री नवीन जैन ने सुझाव दिया कि डिकॉय कार्यवाही हेतु लगने वाली सम्पूर्ण धनराशि का सम्बन्धित जिला के पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 5 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से पुनर्भरण किया जा सकता है। माननीय बोर्ड ने निर्णय लिया कि राज्य में अब तक की गई व भविष्य में की जाने वाली डिकॉय

कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण व्यय का पुनर्भरण पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 5 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि से किया जा सकता है तथा यह राशि उसी जिले से प्राप्त की जा सकेगी जिसके क्षेत्राधिकार में डिकॉय कार्यवाही की गयी है।

8. माननीय बोर्ड को अवगत कराया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल रिट पीटिशन 349/2006 वोलेन्ट्री हैल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 12.01.2016 के आदेश की अनुपालना में जवाब दिनांक 20.05.2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में दायर प्रकरणों की भी प्रभावी पैरवी की जा रही है। बोर्ड को यह भी अवगत कराया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैन्च में विचाराधीन जनहित याचिका 3270/12 एस. के. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य को माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बैन्च द्वारा निस्तारित कर दिया गया है।
9. श्री नवीन जैन ने RED ALERT SYSTEM के बारे में माननीय बोर्ड को अवगत कराया तथा बताया कि इस सिस्टम के अन्तर्गत आने वाली समस्त गर्भवती महिलाओं की ट्रेकिंग की जा रही है तथा ट्रेकिंग की गई महिलाओं ने शिशुओं को जन्म भी दिया है।
10. श्री नवीन जैन अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी ने बैठक में आये समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक को यह सख्त निर्देश दिये कि पूर्व की भांति CHILD TRACKING SYSTEM को लगातार जारी रखा जाये। सभी समन्वयक अपने जिले में इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारित दायरे में आने वाली गर्भवती महिला का डाटा प्राप्त कर ट्रेकिंग का कार्य निरन्तर करेगें।
11. श्री नवीन जैन ने बताया कि टोल फ्री नम्बर 104 पर प्राप्त शिकायतों की मॉनिटिरिंग की जा रही है तथा प्राप्त शिकायतों का शीघ्रता से निस्तारण किया जा रहा है।

तत्पश्चात् अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड ने सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि राज्य में बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) में सन्तुलनात्मक स्थिति प्राप्त करना राज्य सरकार की प्रथम वरीयता है तथा उन्होंने इस लक्ष्य को अमली जामा पहनाने हेतु माननीय सदस्यों से महत्वपुर्ण सुझाव आमन्त्रित किये।

माननीय सदस्यों से प्राप्त सुझाव एवं उन पर चर्चा के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय की सहमति के साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि :–

1. इम्पेक्ट सॉफ्टवेयर में भरे जा रहे ऑनलाईन फॉर्म एफ तथा मैन्यूल फॉर्म एफ में द्वितीय तिमाही में सोनोग्राफी के संतान सम्बन्धी विश्लेषण किया जाये तथा जिन गर्भवती महिलाओं के प्रथम दो या अधिक संतान बेटियां है, उनकी आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एएनएम के माध्यम से काउन्सिल करवाकर उनमें बेटा–बेटी एक समान है कि भावना का प्रचार प्रसार करना तथा मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
2. जेण्डर संवेदनशीलता एवं समाज में बेटी का महत्व व बेटी की गरिमा बढ़ाने हेतु वर्ष 2016–17 में Youth Development Centre(YDC), National Cadet Corps(NCC), National Service SCHeme(NSS), Scout and Guide के माध्यम से राज्य के समस्त महाविद्यालयों जिसमें प्रमुख रूप से जिले के प्रतिष्ठित कन्या महाविद्यालयों में जुलाई 2016 से युवाओं के लिये कार्यक्रम आयोजित करवाना।
3. फॉर्म एफ पूर्ण भरने सम्बन्धी अनिवार्यता के लिये सभी केन्द्रों की काउन्सलिंग करना तथा रेड अलर्ट सिस्टम का प्रभावी क्रियान्वयन करवाना।
4. आपालकालीन परिस्थिति में आने वाली गर्भवती महिला की सोनोग्राफी के सम्बन्ध में पहचान सम्बन्धी औपचारिकता की लगातार मॉनिटिरिंग करना।
5. माननीय न्यायालय में दायर परिवादों की प्रभावी मॉनिटिरिंग एवं मासिक समीक्षा की जाये तथा माननीय न्यायालय द्वारा जिन चिकित्सकों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी नियमों के उल्लघंन सम्बन्धी दोषसिद्धी तय की गयी है, उन चिकित्सकों के राजस्थान मेडिकल काउन्सिल द्वारा रजिस्ट्रेशन शीघ्र निलम्बन एवं निरस्त करने की कार्यवाही करवाना तथा

प्रोबेशन पर छूटे चिकित्सकों के खिलाफ भी आवश्यक कानूनी कदम उठाना तथा इनकी सूची पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्यों के साथ साझा करना।

6. डिकॉय कार्यवाही में सहायता करने वालों को लगातार प्रेरित करना तथा ऐसे व्यक्तियों की जिलेवार गुप्त सुचना की सुची बनवायी जायें। मुखबिर योजना का जनसमुदाय में प्रचार प्रसार करना। विभिन्न प्रकार के एनजीओ को भी पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रोत्साहित करना।
7. आईएमए, फोग्सी, आईआरआईए के माध्यम से "Doctors For Daughters" के अन्तर्गत बेसहारा व गरीब बालिकाओं के लिये शिक्षा व्यवस्था योजना को प्रोत्साहित करना।
8. आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, की सेक्टर स्तर पर आयोजित होने वाली नियमित बैठकों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रचार प्रसार करने हेतु घर घर जाकर आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम को प्रेरित करना।
9. सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देने हेतु मिठाई, रेस्टोरेन्ट, होटल, सिनेमा एवं मनोरंजन घर के एसोसिएशन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर प्रचार प्रसार करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा भ्रुण लिंग परीक्षण की शिकायत 104 टोल फ्री सेवा पर दर्ज करवाने के प्रावधान का प्रचार प्रसार करना।

- बैठक लगभग तीन घण्टे तक चली।
- आगामी बैठक नियमित अवधि चार माह के अंतराल पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- बैठक का समापन अध्यक्ष महोदय व सभी प्रतिभागी सदस्यों को धन्यवाद के साथ किया गया।

(नवीन जैन)
अध्यक्ष,राज्य समुचित प्राधिकारी
(पीसीपीएनडीटी) विशिष्ठ शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक (एनएचएम)
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

A

1. निजी सचिव, अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, नई दिल्ली, भारत सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमति चन्द्रकान्ता मेघवाल माननीय विधायक, रामगंजमण्डी, कोटा बी–13, एम.एल.ए. क्वार्टर, जयपुर, मोबाईल नं. 9413350111, 9414286045
5. श्रीमति संजना आगरी, माननीय विधायक, सोजत, पाली 2/4 विधायक नगर (पश्चिम) जयपुर मोबाइल नं0 9928371601, 9829088165। (Email :- sanjanaagari@gmail.com)
6. श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक बांदीकुई, दौसा, मोबाईल नं. 9414077990
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

12. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
13. डॉ0 नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी–8, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414238226। (E-mail:-neetapatni@gmail.com)
14. श्री कानसिंह राठौड, विधि विशेषज्ञ, बी–140, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414123444
15. श्रीमती सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, 3–जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर मोबाइल न0 9829363672 (Email :- seemadaya3@gmail.com)
16. श्रीमती मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 107–यूनिक सांघी अपार्टमेंट, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर मोबाइल न0 9829394789 (E-mail:- manjusharmabjp@gmail.com).
17. डॉ0 सुमन मेहंदीरत्ता, महिला रोग विशेषज्ञ, 4–YA-20, जवाहर नगर, जयपुर मोबाइल न0 9829057336 (E-mail:- drsumanmittal@gmail.com)
18. डॉ0 मृदुल गहलोत, महिला रोग विशेषज्ञ, 2 आकांक्षा गहलोत बंगला, अजमेर रोड, जयपुर मोबाइल न0 9414044445 (Email :- drmridulgehlot@yahoo.com)
19. डॉ0 तरूण पाटनी, अनुवांशिकी विज्ञानी, 119–केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर मोबाइल न0 9314613665 (Email :- drtarunpatni@hotmail.com)
20. डॉ0 सुषमा शर्मा, आनुवांशिकी विज्ञानी, पी–6C, राज आंगन एनआरआई कॉलोनी, प्रतापनगर, जयपुर मोबाइल न0 9571106777
21. डॉ0 सतीश जैन, रेडियोलॉजिस्ट, 28–95, भार्गव पथ, मानसरोवर, जयपुर मोबाइल न0 9314285434 (Email :- drskjain007@gmail.com)
22. डॉ0 गोपाल सिंह भाटी, सोनोलॉजिस्ट, चम्बल रेजिडेंसी सिविल लाइन्स, सीएमएचओ कार्यालय के सामने, नयापुरा, कोटा मोबाइल न0 9461515147 (E-mail:-gopal.bhati.gb@gmail.com)

B

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव (आरसीएच), भारत सरकार कमरा नं0 145 ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली
2. निजी सहायक, निदेशक, पीएनडीटी, (MOHFW) कमरा नम्बर 203–डी, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110001।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा, आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर मोबाईल नं. 9414581756, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।
5. श्री लोकेश कुमार तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी, वादकरण, शासन सचिवालय जयपुर।
6. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) एवं जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं जिला स्तरीय चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान मार्फत जिला समन्वयक पीसीपीएनडीटी, राजस्थान।

C

1. निजी सचिव, राजकुमारी दीया कुमारी, माननीय विधायक, सवाईमाधोपुर एवं ब्राण्ड एम्बेसडर **"बेटी बचाओं अभियान"**, हाल निवास सिटी पैलेस, जयपुर, मोबाईल नं. 8003555511, 9829050077।

D

1. श्री सौरभ श्याम समसेरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली को प्रकरण संख्या **CWP (PIL) 349/06 VHAP V/s UOI & Others** के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. श्री जी.एस0 गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान सरकार माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर को प्रकरण संख्या **CWP (PIL) 3270/2012 S.K Gupta V/s Union of India & Ors** एवं रिव्यू पिटिशन 99/2014 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम एवं निदेशक, आईईसी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।

6. निजी सहायक, निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

E

1. परियोजना निदेशक पीसीपीएनडीटी एवं उप निदेशक, आरसीएच, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीसीपीएनडीटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज, जयपुर।
3. सहायक निदेशक अभियोजन(पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर।
4. सहायक निदेशक IEC, निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 आईईसी, जयपुर।
5. समस्त जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
6. राज्य समन्वयक पीसीपीएनडीटी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज, जयपुर।
7. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान।
8. प्रभारी पीबीआई / प्रभारी अपराध शाखा / विधि सलाहकार (एनएचएम) / विधि सलाहकार (पीसीपीएनडीटी) / कनिष्ठ लिपिक / सूचना सहायक राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ एवं सलाहकार आई.ई.सी. मुख्यालय जयपुर।
9. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने बाबत्।
10. संबंधित रक्षित पत्रावली।

(रघुवीर सिंह)
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी), उप
निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य
पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक दिनांक 15.06.2016 में उपस्थित सदस्यगण व आमंत्रित सदस्यों की सूचीः—

A

सदस्य – राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड :–

1. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. श्रीमति राजकुमारी हाड़ा, कार्यक्रम निदेशक, SRCW, प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्री एन. एल. मीणा, आयुक्त, बाल अधिकारिता विभाग प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. डॉ. मनोहर पारिक, ओएसडी आयुष, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. डॉ0 वी.के. माथुर (सदस्य), निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
6. डॉ0 नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी–8, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर।
7. श्री कानसिंह राठौड़, विधि विशेषज्ञ, बी–140, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर।
8. श्रीमती सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, 3–जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर।
9. डॉ. मृदुल गहलोत, महिला रोग विशेषज्ञ, 2 आकांक्षा गहलोत बंगला, अजमेर रोड़, जयपुर।
10. डॉ. भोपाल सिंह भाटी, सोनोलॉजिस्ट, चम्बल रेजिडेंसी सिविल लाइन्स, सीएमएचओ कार्यालय के सामने, नयापुरा, कोटा।

B

सदस्य – राज्य समुचित प्राधिकारी :–

1. श्री नवीन जैन, अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी, पीसीपीएनडीटी एवं विशिष्ठ शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. डॉ. (श्रीमती) मीना आसोपा निवासी आसोपा बिल्डिंग, स्टेशन रोड, बीकानेर एवं सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी।

C

विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यगण :–

1. डॉ. पुष्पा सत्यानी, अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग प्रतिनिधि विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री गोविन्द पारीक, उप निदेशक आ.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

D

सदस्य – राज्य व जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ :–

1. जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अलवर एवं चूरू।
2. समस्त जिला पीसीपीएनडीटी समन्वयक, राजस्थान (जिला समन्वयक बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर, झुन्झुनु को छोडकर)

3. समस्त स्टाफ राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/पुलिस थाना पीबीआई, राजस्थान जयपुर।

(रघुवीर सिंह)
परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी), उप
निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी राज्य
पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।